न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 20/2021

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर ....**प्रार्थी**

बनाम

1. गोपाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा0 चुन्दडी तहसील किशनगढ
2. पप्पू पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा0 चुन्दडी तहसील किशनगढ
3. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति जाट सा0 चुन्दडी तहसील किशनगढ
4. इन्दिरा पत्नि गोपाल जाति जाट सा0 चुन्दडी तहसील किशनगढ
5. राजी पत्नि भंवरलाल जाति जाट सा0 चुन्दडी तहसील किशनगढ

.........**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 10.04.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01–04–00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00–16–00 बीघा कुल 02–00–00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 393 दिनांक 15.07.2002 रकबा 01–04–00 बीघा व खसरा नम्बर 48/3 रकबा 00–16–00 बीघा कुल रकबा 02–00–00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र कमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के कम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप–III) विभाग जयपुर के आदेश कमांक F-10 (5)JDH 81 जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर–खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है । अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01–04–00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00–16–00 बीघा कुल 02–00–00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर एकपक्षीय सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 48/1

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल 02—00—00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 393 दिनांक 15.07.2002 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नम्बर 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल रकबा 02—00—00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप—III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक **F-10 (5)JDH 81** जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर—खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है । अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल 02—00—00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का का आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2002 को ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर अवस्थित सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल 02—00—00 बीघा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन की गई थी। उक्त भूमि नियमन/आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम तोलामाल के नामान्तकरण संख्या 393 दिनांक 15.07.2002 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नम्बर 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल रकबा 02—00—00 बीघा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र क्रमांक/कअ/राजस्व/2021/4756 दिनांक 15.04.2021 के क्रम में एवं उप सचिव अरबन विकास एवं हाउसिंग (ग्रुप—III) विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक **F-10 (5)JDH 81** जयपुर दिनांक 24.10.1981 की पालना में ग्राम तोलामाल पैराफेरी में शामिल होने के बाद गैर—खातेदारी के आवंटन/नियमन नियम राज0 भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्तीकरण हेतु तहसीलदार किशनगढ द्वारा निवेदन किया गया है । अतः ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल 02—00—00 बीघा में अप्रार्थी को किया गया आवंटन प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ की सिवायचक खसरा नम्बर 48/1 रकबा 01—04—00 बीघा व खसरा नं0 48/3 रकबा 00—16—00 बीघा कुल 02—00—00 बीघा भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर